

संख्या:25(52)/2016/RTI/59

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई०एच०ओ० 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512)2570575
फैक्स : (0512) 2570247

कानपुर,दिनांक: 12.7.2016

सेवा में,

श्री अखिलेश पाण्डेय
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
कानपुर

विषय: जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में।
महोदय,

आपके जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत दिनांक 15.06.2016 को प्राप्त आवेदन दिनांकित 16.6.2016 के बिंदु 1 व 2 के सम्बन्ध में आपको यह सूचित किया जाता है कि संस्थान में मुख्य अभिकल्पक तथा ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-2 एवं ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-3 के वर्तमान में लागू भर्ती नियम की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क Rs. 2/- प्रति पृष्ठ की दर से कुल 17 पृष्ठों का शुल्क रुपये 34/- संस्थान के कोषागार में किसी भी कार्यदिवस पर कैश अनुभाग में जमा कर उचित रसीद अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देकर प्राप्त कर सकते हैं अथवा 'निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर' के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जोकि कानपुर में देय हो, के माध्यम से डाक द्वारा प्रेषित कर प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त संस्थान में मुख्य अभिकल्पक तथा ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-2 एवं ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-3 के सबसे पुराने भर्ती नियम की छायाप्रति के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि इन नियमों की प्रतिलिपि आज कि तिथि में उपलब्ध अभिलेखों में Traceable नहीं है।

26/7
15-07-16

स्वदीय,
14/7/16
(संकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

14/7/16
5/6